P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

आर्यो की सबसे पुरानी जनसभा : विदथ

राजीव कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
आर0एस0एस0 (पी0जी0) कॉलिज,
पिलखुवा

सारांश

यद्यपि 'सभा' और 'समिति' नाम की वैदिक संस्थाओं के स्वरूप पर प्रकाश डालने के लिए काफी लिखा गया है, फिर भी एक महत्वपूर्ण वैदिक संस्था **विदथ** के अध्ययन की ओर बहुत कम ध्यान गया है। विदथ का महत्त्व इसी से आंका जा सकता है कि जहां 'ऋग्वेद' में सभा शब्द का उल्लेख आठ बार और 'समिति' का नौ बार हुआ है, वहीं विदथ का एक सौ बाईस बार हुआ है। इसी प्रकार 'अथर्ववेद' में सभा शब्द सत्रह बार और 'समिति' शब्द तेरह बार आया है, जबकि विदथ बाईस बार।[1]

मुख्य शब्द : सभा, समिति, विद, विधा, विदथ।

प्रस्तावना

'वाजसनेयि संहिता' में विदथ शब्द का उल्लेख दस स्थानों पर, ब्राह्मण ग्रंथों में इक्कीस स्थानों पर और 'तैत्तिरीय अरण्यक' में एक स्थान पर आया है। वैदिक साहित्य जहाँ विदथ के उल्लेखों से भरा पड़ा है, 'सभा' और 'समिति' का जिक्र कहीं–कहीं ही हुआ है। फिर, जिस तरह 'ऋग्वेद' में सभा और समिति का उल्लेख कम और 'अथर्ववेद' में अपेक्षाकृत में उसकी तुलना में कम है। इससे प्रकट होता है कि संस्था के रूप में विदथ ऋग्वैदिक काल में अधिक महत्वपूर्ण था, तथा 'सभा' और 'समिति' को उत्तर संहिता काल में प्रमुखता प्राप्त हुई।[2] प्राचीनतम साहित्य में विदथ के उल्लेखों की यह बहुलता इस शब्द को सहज ही ऐसा महत्त्व प्रदान करती है जिस पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। प्रस्तुत लेख में विद्थ के अर्थ एवं उसमें महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया है।

विदथ शब्द के तात्पर्य और व्याख्या पर लगभग आधे दर्जन मत हैं। चूंकि यह शब्द मूलधातु 'विद्' से निकला माना जा सकता है और विद का अर्थ क्रमशः जानना, धारण करना, विचार करना और होना है, इसलिए विदथ को ज्ञान, स्वत्व (या ब्लूमफील्ड के अनुसार गृह) और सभा के तीन अर्थ देना संभव हो सका है। ओल्डेनबर्ग ने 'विदथ' शब्द का मूलधातु विधा माना है और इसका मूल अर्थ 'वितरण, निबटाना और अध्यादेश (धर्मविधि)' लगाया है तथा व्युत्पत्यर्थ 'यज्ञ' बताया है।[3]

वैदिक साहित्य के विद्वान विदथ का कोई एक अर्थ मानकर जहां भी यह शब्द आया है, सर्वत्र उसी अर्थ को लागू करना चाहते हैं। किन्तु आदिम सभाओं के कार्यों के संश्लिष्ट स्वरूप को देखते हुए उचित यही होगा कि हम रॉथ का अनुसरण करें, जिसके अनुसार विदथ धर्मेत्तर, धार्मिक तथा सैनिक, ये तीनों तरह के प्रयोजन सिद्ध करने वाली सभा थी। उसका अनुसरण करते हुए के0पी0 जायसवाल ने यह विचार रखा है कि विदथ शायद वह 'मूल' जनसंस्था थी जिससे 'सभा', 'समिति' और 'सेना' का अलग–अलग संस्थाओं के रूप में विकास हुआ। यद्यपि ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जिससे विदथ के साथ 'सभा' और 'समिति' का संस्थात्मक संबंध सिद्ध किया जा सके, फिर भी विभिन्न संदर्भों में इस शब्द के जो प्रचुर उल्लेख हुए हैं, उनकी छानबीन करें तो पाएंगे कि विदथ में प्राचीनतम जनसभा के प्रमुख चिह्न विद्यमान थे। यदि यह मानकर चलें कि मानवविज्ञान (ऐंथ्रोपोलॉजी) के सहारे आद्य मानव के जीवन का जो चित्र उभरता है उसका, इतिहास के सहारे गढ़ी जाने वाली, प्राचीन मानव के जीवन की तस्वीर से साम्य हो सकता है तो वैदिक साहित्य में विदथ के अस्पष्ट उल्लेखों को किसी हद तक स्पष्ट किया जा सकता है और इस संस्था के गठन और कार्य का लगभग सही चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है।[4]

उद्देश्य एवं अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत लेख का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन भारत में जनतांत्रिक संस्थाओ के सूत्र खोजना है। इस लेख का एक उद्देश्य यह तथ्य रेखांकित करना भी है कि प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थाओ में महिलाओं की भूमिका तथा

सहभागिता महत्वपूर्ण स्थान रखती थी ''प्रस्तुत लेख में ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है''

भारत में शासन में आम जन की सहभागिता के सूत्र तीन संस्थाओ विदथ, सभा व समिति में खोजे जा सकते है यहाँ पर उल्लेखनीय है कि विदथ अन्य दो संस्थाओ सभा एवं समिति से इस रूप में भिन्न है कि जहाँ सभा एवं समिति में केवल पुरुष ही भाग ले सकते थे वही विदथ में पुरुषो के साथ साथ महिलाओ को भी भाग लेने की अनुमति प्राप्त थी। विदथ का ऋग्वेद में १२२ बार वर्णन होना इसकी महत्ता को रेखांकित करता है विदथ केवल राजनैतिक कार्यो का संपादन करने वाली संस्था नहीं थी बल्कि इसके द्वारा धर्मेत्तर, धार्मिक तथा सैनिक तीनो प्रकार के कार्य किये जाते थे। विद्वानों ने विदथ को प्राचीनतम जनसभा के रूप में व्याख्यापित किया है

विदथ में स्त्रियों की भूमिका

जहाँ तक इसके गठन का प्रश्न है, इसकी अपनी अलग विशिष्टता यह है कि इसमें स्त्रियां भी बैठती थी। इस दृष्टि से यह 'सभा' और 'समिति' से भिन्न है। 'ऋग्वेद' में केवल एक प्रसंग में सभा के साथ स्त्री का संबंध दिखलाया गया है। उस प्रसंग में उसे 'सभा' में शामिल होने की योग्यता से संपन्न बताया गया है। लेकिन वह 'समिति' में भी बैठती थी, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। 'सभा' के संबंध में भी 'मैत्रायणी संहिता' में दिखलाया गया है कि परवर्ती काल में स्त्रियों का 'सभा' में जाना बंद हो गया। लेकिन 'ऋक्' और 'अथर्व' संहिताओं को मिलाकर ऐसे कम से कम सात उल्लेख मिलते हैं जिनसे न केवल विदथ में स्त्रियों की उपस्थिति, बल्कि वाद–विवाद में उनके भाग लेने की चर्चा है, हालांकि ब्राह्मणों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। 'ऋग्वेद' से जानकारी मिलती है कि घोषा विदथ में शामिल हुई थी। एक प्रसंग में युवा लोगों द्वारा विदथ के कल्याणार्थ शक्तिशाली और सामाजिक कन्याओं के उस संस्था में स्थापित किए जाने का वर्णन हुआ है।[5] ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था में सदस्यों की हैसियत से शामिल होने वाली स्त्रियां चुपचाप बैठी नहीं रहती थी। सूर्या से विदथ में आगत लोगों के समक्ष बोलने को कहा गया है।[6] आगे यह भी ज्ञात होता है कि स्त्रियां विदथ के विचारविमर्श में भाग लेती थी। विवाह समारोह में ऐसी कामना की गई है कि वधू केवल गृहिणी बनकर ही नहीं रहे, बल्कि, नियंत्रण रखकर, वह विदथ के समक्ष बोले भी।[7] फिर यह भी कहा गया है कि वह बुढ़ापा आने पर विदथ में बोले।[8]

इस प्रकार, उपलब्ध संदर्भों का अध्ययन करने से प्रकट होता है कि विदथ भारतीय आर्यों की प्राचीनतम जनसभा था, जिसमें पुरूष और स्त्रियां दोनों सम्मिलित होकर आर्थिक, सामरिक, धार्मिक और सामाजिक सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करते थे। यह आदिम समाज की जरूरतें पूरी करता था। इस समाज में श्रम विभाजन का, या महिलाओं पर पुरूषों के आधिपत्य का चलन नहीं था, और यह संभवतः मिल–बांटकर उपज का उपभोग करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि विदथ प्रणाली की आधारशिला सहकारिता की भावना थी। पुरूष–स्त्री का भेद बरते बिना इसमें सम्मिलित लोग साथ–साथ लड़ते, साथ–साथ गाते, साथ–साथ प्रार्थना करते, साथ–साथ खेलते और साथ–साथ विचारविमर्श किया करते थे।

उपलब्ध संदर्भों का अध्ययन करने से प्रकट होता है कि विदथ भारतीय आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। जिसमें पुरूष और स्त्रियां दोनों सम्मिलित होकर आर्थिक, सामरिक, धार्मिक और सामाजिक सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करते थे। यह आदिम समाज की जरूरतें पूरी करती थी। इस समाज में श्रम विभाजन का या महिलाओं पर पुरूषों के आधिपत्य का चलन नहीं था, और यह संभवतः मिल–बांटकर उपज का उपभोग करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि विदथ प्रणाली की आधारशिला सहकारिता की भावना थी। पुरूष–स्त्री का भेद बरते बिना इसमें सम्मिलित लोग साथ–साथ लड़ते, साथ–साथ गाते, साथ–साथ प्रार्थना करते, साथ–साथ खेलते और साथ–साथ विचारविमर्श किया करते थे।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्थ भारतीय आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी जिसमें पुरूष और स्त्रियाँ समान रूप से भागीदारी करते थे। समाज के लिये आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए ये मिल बैठकर निर्णय लेते थे। विद्थ में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि पुरूषों को स्त्रियों पर आधिपत्य का विचार आया हो। इस प्रकार विद्थ लिंग भेद पर आधारित न होकर सहकारिता की भावना से कार्य करने वाली संस्था थी जिसमें स्त्री–पुरूष मिलकर सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक और सुरक्षा सम्बन्धी सभी कार्यों का सम्पादन करते थे।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *शर्मा रामशरण, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाऐं, पृ0 91, 2005, रामकमल प्रकाशन, नई दिल्ली*
2. *वही, पृ0 91*
3. *वही, पृ0 91*
4. *जायसवाल, के0पी0, हिन्दू पॉलिटी, पृ0 21, 1943, बैंगलौर प्रेंटिंग पब्लिशिंग*
5. *ऋग्वेद, , 167.3*
6. *मैत्रायणी, सहिंता,* 7.41
7. *ऋग्वेद, , 167.3*
8. *ऋग्वेद, , 167.6*